

## न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नाम:-काना राम,आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या:-11/2023 विविध (धारा 14 सिक्योरिटाइजेशन)

आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय-'लैण्डमार्क'रेस  
कॉर्स सर्कल बडोदरा तथा शाखा कार्यालय:-2 सी-मधुबनी, मधुबन उदयपुर-313001  
जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री राकेश शर्मा।

---प्रार्थी कम्पनी

बनाम

1. श्री सुशील कुमार पुत्र श्री हनुमान प्रसाद  
पता-वार्ड नं. 16 सोसाइटी गोदाम रावतसर जिला हनुमानगढ़ राज.।

---ऋणी

2. श्रीमती मंजु पत्नी श्री सुशील कुमार  
पता-वार्ड नं. 16 सोसाइटी गोदाम रावतसर जिला हनुमानगढ़ राज.।

---सहऋणी



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण  
और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002।

आदेश

दिनांक:-31.07.2024

प्रार्थी आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड की ओर श्री राजेन्द्र पारीक वकील उपस्थित आये जिनको सुना गया। कम्पनी के वकील ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत एक पंजीकृत कम्पनी है, जिसका पंजीकृत कार्यालय-'लैण्डमार्क'रेस कॉर्स सर्कल बडोदरा तथा एक शाखा कार्यालय:-2 सी-मधुबनी, मधुबन उदयपुर (राज.) में स्थित व कार्यरत है। राकेश शर्मा उक्त कम्पनी के प्राधिकृत अधिकारी है एवं प्रार्थी कम्पनी की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने, प्लीडिंग्स एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने एवं प्रार्थी कम्पनी के हक में प्रार्थना-पत्र से संबंधित समस्त कार्यवाही करने हेतु सरफेसी एक्ट, 2002 के प्रावधानों के अनुसार अधिकृत किया गया है।

अप्रार्थीगण ने प्रार्थी कम्पनी से जरिये ऋण करार संख्या LHGAN00001312883, LHGAN00001353964 के द्वारा 12,83,000 + 5,00,000=1783,000 रुपये का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने उक्त ऋण मय ब्याज के पुर्न भुगतान की सिक्योरिटी के पेटे अपनी अचल संपत्ति-श्री सुशील कुमार पुत्र श्री हनुमान प्रसाद के नाम भूमि एवं निर्माण आवासीय सम्पत्ति जिसका क्षेत्रफल 208.5 वर्ग गज है जो कि वार्ड नं. 16 रावतसर जिला-हनुमानगढ़ (राज.) में स्थित है, को आवश्यक दस्तावेजों का निष्पादन करके प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में सांभिक बंधक किया।

अप्रार्थीगण ने कम्पनी द्वारा प्रदत्त ऋण को ऋण अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार नहीं चुकाने पर उक्त ऋण खाता दिनांक 05.09.2021 को अक्रियान्वित आस्ति के रूप में (एन.पी.ए.) वर्गीकृत कर दिया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट,  
हनुमानगढ़

प्रार्थी कम्पनी ने अप्रार्थीगण के ऋण खाता संख्या LHGAN00001312883, LHGAN00001353964 में बकाया रूपये 12,28,066 + 5,14,634 = 17,42,700 (अक्षरे सत्रह लाख बयालिस हजार सात सौ रूपये मात्र) बकाया रकम व ब्याज दिनांक 16.10.2021 तक शेष व देय निकलते हैं, की मांग हेतु उक्त अधिनियम कि धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 20.10.2021 को एक नोटिस अप्रार्थीगण को प्रेषित किये जो कि अप्रार्थीगण को तामील हो गये परन्तु धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति व जानकारी के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा देय राशि का भुगतान प्रार्थी बैंक को नहीं किया गया है।

अप्रार्थीगण द्वारा देय ऋण राशि का भुगतान बावजूद मांग के प्रार्थी कम्पनी को नहीं करने पर उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी कम्पनी उपरोक्त वर्णित रहन शुदा सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर शेष देय ऋण राशि वसूल करने का अधिकारी है। उक्त एक्ट की धारा के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त रहन शुदा बंधक सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी कम्पनी द्वारा लिया जाना है। प्रार्थी कम्पनी को भौतिक कब्जा लेने हेतु पुलिस सहायता दिलाये जाने के आदेश फरमाये जावे।

प्रार्थी कम्पनी के वकील के कथनों पर मनन किया और पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी कम्पनी को ऋण राशि का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी कम्पनी द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को नोटिस प्रेषित करना पाया गया। इसके पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि की शर्तों के मुताबिक ऋण राशि का भुगतान प्रार्थी कम्पनी को नहीं करने पर The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत तथा प्रार्थी कम्पनी के द्वारा पेश किये गये शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए प्रार्थी कम्पनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी कम्पनी के पास रहन रखी अचल संपत्ति—श्री सुशील कुमार पुत्र श्री हनुमान प्रसाद के नाम भूमि एवं निर्माण आवासीय सम्पत्ति जिसका क्षेत्रफल 208.5 वर्ग गज है जो कि वार्ड नं. 16 रावतसर जिला—हनुमानगढ़ (राज.) में स्थित है, जिसका भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ को निर्देश दिये जाते हैं कि प्रार्थी कम्पनी को चाहे अनुसार पुलिस सहायता संबंधित पुलिस थाना के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली नंबर से कम की जाकर दाखिल दफतर की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 31.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।



51  
जिला मजिस्ट्रेट  
हनुमानगढ़